

फर्द अहकाम

2021/281

पायालय

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उमराव कोरे बनाम रमेश वर्मा

क्रमा संख्या / वर्ष 103/2021 : प्राथमिक पत्र 120

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06-12-21	<p>यह प्राथमिक पत्र एडवोकेट श्री महेश कुमार जैन से पेश किया। रिपोर्ट हरिस्त की गयी। प्रकाश दर्ज रजिस्टर किया जाये।</p> <p>वकील प्राथमिकता की प्रकृष्टीप वहस प्राथमिक पत्र सुनी गयी। दलीलें उचित प्रतीत होती हैं। अतः अप्राथमिकता को उत्तरिम अस्थापी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूक्रे खण्ड 4428/0.14 4433/0.47, 4434/0.01 हैं व उनके ग्राम विराटनगर पंचस विभाग तहसील विराटनगर की अंका की स्थापिति बनाये रखे। पत्रावली वाले तारीख अप्राथमिकता दिनांक 06-12-21 को पेश हो।</p>	
	06-1-22	<p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथमिकता प्राथमिकता उच्च मूल का दर्जा रजिस्ट्रार से विद्वान किया जा चुका है तथा खारिज किया गया है। अतः प्राथमिकता withdrawal के आचार्य खारिज किया जाता है। पत्रावली फेब्रुवारी 2022 को दाखिल कर्तव्य हो गयी।</p>	<p>उमराव भागीरथ वर्मा-उमराव वेद प्रकाश जयराज Ident mishra</p>

कम होना

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)